संख्या-80/2016/1161/26-3-2016-10(32)/1999

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक-13 अप्रैल, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के अन्तगत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) के अन्तर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-18/स0क0/विकास/अनु0जाति0/2016-17 दिनांक 09.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के अन्तगत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) के अन्तर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान **रू0-1,21,00,00,000/-(रूपये एक अरब इक्कीस करोड़ मात्र)** के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि **रू0-60,50,00,000/-(रूपये साठ करोड़ पचास लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमें का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि से प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज रूल्स के तहत किया जायेगा।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिये उक्त योजना हेतु वर्ष 2016-17 के लिये जनपदवार निर्धारित परिव्यय में ही समायोजित किया जायेगा। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपयोगिता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/97/35-आ-2/91-92, दिनांक 16.08.1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2016-17 में शासन से अनुमोदिन धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित है। अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- उपयुक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।"

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-80/2016/1161/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/ समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।